28 नवम्बर, 2016

प्रेस विज्ञप्ति/आमंत्रण

स्मार्ट फोन और सोशल मीडिया महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध के नए उपकरणः वरिष्ठ वकील, पवन दुग्गल

महिलाओं को स्मार्ट फोन, इंटरनेट और अन्य ऐसे प्लेटफॉर्म का अत्यंत सावधानी से उपयोग करने और उन पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रकट न करने की सलाह देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पवन दुग्गल ने कहा कि ऐसे सभी उपकरण का इस्तेमाल उन्हें असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान करने के लिए किया जा सकता है।

'साइबर क्राइम अगेंस्ट वीमेनः चैलेंजेस पोस्ड बाई द सोशल नेटवर्किंग' पर विधि संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए और विशेष रूप से छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों में अभित्रस्त करना एक बड़ी समस्या बन गई है और अब तक इससे निपटने के लिए कोई समर्पित कानून नहीं है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए सम–कुलपति, प्रोफेसर शाहिद अशरफ़ ने कहा कि साइबर स्पेस के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा दुनिया भर के समाज और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर एक वैश्विक समस्या के रूप में उभर रही है।

स्मार्ट फोन को 'सिटिंग बम' बताते हुए श्री दुग्गल ने सुझाव दिया कि स्मार्ट फोन को केवल फोन के रूप में प्रयोग करना चाहिए कैमरे के रूप में नहीं और क्लाउड के साथ सिंक्ड नहीं करना चाहिए, श्री दुग्गल ने कहा कि व्हाट्स एप, फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट और अन्य सामाजिक नेटवर्किंग साइट महिलाओं को लक्ष्य बनाने के सुविधाजनक उपकरण बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या का कारण उनके एकाउंट का हैक होना है जोकि उनके उत्पीड़न, चिंता और पीड़ा का कारण है खुद को इससे बचाने के लिए अपने व्यक्तिगत विवरण को बहुत ज्यादा साझा नहीं करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को अपने आसपास के प्रति सावधान रहना चाहिए विशेष रूप से अपने काम के स्थान पर जहाँ जासूसी कैमरा उन्हें फिल्माने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 'आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है' उन्होंने कहा।

प्रोफ़ेसर अशरफ़ ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की कोई सीमा नहीं है, सीमाओं से परे यह किसी जाति, संस्कृति और आय समूहों में हो सकता है और उन्हें नुकसान पहुँचाने वाले उनके आसपास और पूरे समाज में हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बढ़ती पहुँच, मोबाइल जानकारी का तेजी से प्रसार और संचार प्रौद्योगिकियों और सामाजिक मीडिया के व्यापक प्रसार ने नए अवसर प्रस्तुत किए हैं और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए विभिन्न सक्षम प्रयास किए हैं।

मीडिया समन्वयक कार्यालय
फोनः 011–26980090